न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, XV, सीतामढ़ी

उपस्थित– कृष्ण कुमार चौधरी

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 193/2026

थाना – सीतामढ़ी महिला कांड संख्या 64/2025

आदेश दिनांक –28.04.2026

पेज संख्या

राहुल कुमार ..... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक की ओर से :– श्री रामजी सिंह, विद्वान अधिवक्ता

बिहार सरकार की ओर से :– अकील अहमद, विद्वान अपर लोक अभियोजक

आ दे श

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र आवेदक अभियुक्त **1. राहुल कुमार** की ओर से थाना–सीतमढ़ी महिला थाना कांड संख्या 64/2025 अंतगर्त धारा 85, 316 (2), 318 (2), 351 (2), 352 (2), 3 (5) भा0 न्या0 सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 के अंतर्गत दर्ज कांड में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, कोई अभियोजित अपराध नहीं किया है। आवेदक की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक कांड दर्ज नहीं है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया संपूर्ण अभियोग बिल्कुल झूठा एवं बनावटी है और किसी प्रकार से कोई अपराध कारित नहीं किया है। वास्तव में प्रस्तुत कांड की सूचिका मुम्बई में जी0 आई0 एस0 इंजीनियर पद पर कार्यरत है और वह पूर्व में अहमदाबाद में कार्यरत थी और विवाह के बाद जमशेदपुर, सरायकेला, अयोध्या आवास पर आ गयी क्योकि आवेदक की मां रीता शर्मा का दिनांक 27.02.2025 को देहांत हो गया था और वह राहुल कुमार आवेदक के नाम से कोई संपत्ति नहीं पायी इसलिए वह जमशेदपुर को छोडकर अपने कार्यस्थल चली गयी और वहां जाने के बाद सदोष लाभ हेतु प्राथमिकी दर्ज कर दी। फिलहाल प्रस्तुत कांड की सूचिका अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। संपूर्ण अभियोजन कहानी बिल्कुल गलत एवं बनावटी है। कांड अजमानतीय धारा में दर्ज है जिससे आवेदक को गिरफ्तारी की आशंका है। आवेदक भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 482 (2) के शर्तो का पालन करने को तैयार है। आवेदक न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक अकील अहमद द्वारा द्वारा जमानत का विरोध किया गया है तथा कहते है कि प्रस्तुत कांड दहेज हेतु पीडिता को प्रताडित करने से संबंधित है, इसलिए आवेदकगण का जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

4. उभय पक्षों को सुना।

5. अभियोजन का कांड सूचक के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि सूचिका कौमूदी सारंग अपने पति राहुल कुमार तथा उनके पारिवारिक सदस्यों बाबूलाल शर्मा ऋचा शर्मा, नेहा शर्मा एवं

<u>न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, XV, सीतामढ़ी</u>

<u>उपस्थित– कृष्ण कुमार चौधरी</u>

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 193/2026</u>

<u>थाना – सीतामढ़ी महिला कांड संख्या 64/2025</u>

<u>आदेश दिनांक –28.04.2026</u>

<u>पेज संख्या</u>

सुकन्या शर्मा के विरूद्ध शिकायत पेश कर रही है कि सूचिका का संपर्क एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से हुआ जहां राहल कुमार एवं उनके परिवार ने गलत एवं भ्रामक जानकारी देकर विश्वास में लिया और विवाह का निर्णय कराया तथा 26.02.2025 को हमारा विवाह झारखंड में संपन्न हुआ। विवाह से पहले कहा गया कि दहेज नहीं लिया जाएगा परंतु विवाहोपरान्त उनके परिवार ने लगभग 31 लाख रूपया के समतुल्य दहेज एवं आभूषण एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं हड़प लिये। बाद में भी उनकी अतिरिक्त आर्थिक एवं सामग्री संबंधी इच्छाएं लगातार बढती रहीं जिन्हें पूरा करने में हम असमर्थ थे। मांगे पूरी न होने पर मेरे तथा मेरे परिवार के विरूद्ध गंभीर और झूठे आरोप लगाये गये मेरे साथ गाली गलौज धमकी अपमान एवं मानसिक एवं शारीरिक उत्पीडन किया गया। राहूल मुझे फोन कर गंदी गंदी गालियां देता था और झूठे आरोप लगाता था। दिनांक 11.03.2025 जब मेरे भाई और मेरी माता मेरे ससुराल आए हुए थे तब उनके साथ शारीरिक एवं मानसिक हिंसा की गयी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि मेरे ससुराल पक्ष द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत मेरे और मेरे परिवार के चरित्र पर झूठे आरोप लगाकर हमें समाज में बदनाम करने तथा आर्थिक रूप से शोषित करने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि हम मानसिक दबाव में आकर उनकी मांग मानने को मजबूर हो जाएं।

5. अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त हैं एवं औपचारिक प्राथमिकी के अनुसार आवेदक पर अपनी पत्नी को दहेज हेतु मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित करने का गंभीर आरोप है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पूर्व से विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरिम जमानत की सुविधा दिनांक 25.02.2026 को प्रदान किया गया था। लेकिन अभिलेख निस्तारण हेतु वर्तमान न्यायालय को स्थानांतरित किा गया। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत कांड मध्यस्था हेतु, मध्यस्थता केन्द्र, सीतामढी, में भेजा गया था जहां सूचिका मध्यस्थता केन्द्र में लगातार उपस्थित रही है लेकिन अंतरिम जमानत के बावजूद आवेदक मध्यस्थता केन्द्र में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ। जिसका प्रतिवेदन मध्यस्थता केन्द्र द्वारा वर्तमान न्यायालय को उपलब्ध कराया गया है, वहीं वर्तमान न्यायायलय में सूचिका सदेह उपस्थित होकर अपने पति के साथ रहने की बात कहती है, लेकिन बार बार मौका दिये जाने के बावजूद आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

जमानत आवेदन के साथ कांड दैनिकी संलग्न है जिसके कंडिका 2, 3, 8, 9 में साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन किया गया है, वहीं कंडिका 12, 19 एवं 22 के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त को अनुसंधानकर्ता के द्वारा 3 बार धारा 35 (3) भा0 ना0 सु0 सं0 के प्रावधानों के लाभ हेतु नोटिस किया गया है किन्तु आवेदक द्वारा अनुसंधानकर्ता के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक पढा लिखा कानून का जानकार है, जिसे धारा 35 भा0 ना0 सु0 सं0 एवं अर्णेश कुमार बनाम्

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, XV, सीतामढ़ी

उपस्थित– कृष्ण कुमार चौधरी

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 193/2026

थाना – सीतामढ़ी महिला कांड संख्या 64/2025

आदेश दिनांक –28.04.2026

पेज संख्या

बिहार राज्य BLJ 2014 (3) SC-509 की जानकारी है और जानबूझकर हठकर्मिता और उदंडता के साथ कानून को नहीं मान कर अग्रतर कार्रवाई का उम्मीद लगा रखा है वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षियों को प्रलोभन तथा साक्ष्य से छेड़छाड़ तथा साक्षियों को प्रभावित कर रखा है।

सूचिका स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पति के साथ रहने हेतु लिखित में आवेदन दाखिल कर रखी है, वहीं अनुसंधानकर्ता मध्यस्थ तथा न्यायालय के आदेश के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होना उसके उदंडपूर्व व्यवहार को दर्शाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण, आरोप की प्रकृति एवं संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् आवेदक अभियुक्त **1. राहुल कुमार** का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित

अपर सत्र न्यायाधीश –XV
सीतामढी।

कार्यालयः–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XV

प्रतिलिपि ज्ञापांक..... दिनांक.....
आदेश की प्रति विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडांधिकारी, सदर, सीतामढी के न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अपर सत्र न्यायाधीश –XV
सीतामढ़ी।